दिनांक 02.02.2019

# कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
# मध्य प्रदेश

## आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज भोपाल के सत्र 2017–18 के प्रवेशित छात्रों की फीस वापसी के संबंध में आवश्यक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक 1001/2017 एवं डब्ल्यू.पी. क्रमांक 731/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2019 के परिपालन में आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज भोपाल के सत्र 2017–18 के प्रवेशित अभ्यर्थियों की फीस वापस की जाना है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें फीस वापस की जानी है की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर प्रदर्शित है।

ऐसे अभ्यर्थी जो सत्र 2017–18 की काउंसिलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई बैंक डिटेल (खाता संख्या, खातेदार का नाम अथवा बैंक का आई0एफ0सी0कोड) में किसी तरह का परिवर्तन चाहते है वे 10 दिवस में अपने नये बैंक खाते की डिटेल (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी, जिसमें फीस वापसी की जाना है) आवेदन के साथ, ई–मेल आई.डी. mpugpg2018@gmail.com पर भेंजे अथवा व्यक्तिगत रूप से संचालनालय में उपस्थित होकर जमा करें ।

अभ्यर्थी द्वारा खाते में परिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई बैंक डिटेल को ही मान्य किया जायेगा।

02.02.19

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश